बिहार सरकार

<u>परिवहन विभाग</u>

आदेश सं0–05/रथा0 (आरोप)2–73/2018/2018 4173 पटना दिनांक 27/6/18

कार्यालय आदेश

दिनांक–23.06.2018 को राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा जिला परिवहन कार्यालय, पटना का औचक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के क्रम में श्री सुधाकर चौधरी लिपिक जिला परिवहन कार्यालय, पटना द्वारा अत्यंत गैर अनुशासित वर्ताव करने, सरकारी कार्यों में अभिरूचि नहीं लेने, उच्ची आवाज में अपशब्दों का प्रयोग करने जो महिलाओं के सम्मान के विरूद्ध है, बातें करते हुए पाये गए।

श्री चौधरी, लिपिक का सरकारी कार्यो के प्रति उदासीनता, गैर अनुशासित वर्ताव, उच्ची आवाज में अपशब्दों का प्रयोग घोर कदाचार की श्रेणी में आता है एवं बिहार सरकारी सेवा आचार नियमावली–1976 के नियम–3 का स्पष्ट उल्लंघन है।

उपर्युक्त प्रथम द्रष्टव्य, प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1) 'क' के तहत् श्री सुधाकर चौधरी, लिपिक, जिला परिवहन कार्यालय, पटना को पत्र निर्गमन की तिथि से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्री चौधरी का मुख्यालय जिला परिवहन कार्यालय, सुपौल निर्धारित किया जाता है।

निलंबन अवधि में इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता अनुमान्य होगा।

27.06.18

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 4173 पटना दिनांक– 27/6/18

प्रतिलिपिः– जिला परिवहन पदाधिकारी, सुपौल/कोषागार पदाधिकारी, सुपौल/श्री सुधाकर चौधरी, लिपिक, जिला परिवहन कार्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.06.18

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 4173 पटना दिनांक– 27/6/18

प्रतिलिपिः– जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना को निदेश दिया जाता है कि श्री सुधाकर चौधरी, लिपिक के विरूद्ध उपर्युक्त आरोपो को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र के आलोक में प्रपत्र 'क' गठित कर साक्ष्यों सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

27.06.18

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।